विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 22 जुलाई, 2010

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–17/2010–लेज.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20–7–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

(अवतार चन्द डोगरा),
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

———————

2010 का अध्यादेश संख्यांक–3

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :——

1. **संक्षिप्ति नाम.**——इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (v) के उप–खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :——

"(ख) मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं पर –पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर –बीस प्रतिशत की दर से।"

(100 किलोवाट और इससे अधिक सम्बद्ध भार)

(उर्मिला सिंह),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(ए0 सी0 डोगरा),
सचिव (विधि)।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Oridinance No. 3 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT ORDINANCE, 2010

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. *Short title.*—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Ordinance, 2010.

2. *Amendment of section 3.*—In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 in sub-section (1), in clause (v), for sub-clause (b), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(b)	medium industrial consumers	@ 15 %
(c)	large industrial consumers (above 100 KW connected load)	@ 20%"

(URMILA SINGH),
Governor,
Himachal Pradesh.

(A. C. DOGRA),
Secretary (Law).